कार्यालय सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कानपुर रोड लखनऊ।

फोन 0522-2436903 सीयूजी 919454400366 फैक्स 0522-2436903 ईमेल-compac32@uppac.net वेबसाईट-uppolice.up.nic.in

पत्र संख्याः ट–10/2022 दिनांकः–नवम्बर, 5 ,2022

निविदा

सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी सरोजनी नगर लखनऊ के परिसर स्थित जलपान गृह/कैन्टीन को ठेके पर संचालित कराये जाने हेतु मुहरबन्द निविदा अद्योहस्ताक्षरी द्वारा आमंत्रित की जाती है। कैंन्टीन में चाय,काफी,कोल्ड ड्रिंक्स,दूध ,मिठाई,नमकीन व जनरल मर्चेन्ट के सामानों इत्यादि की बिकी की जायेगी।

1– निविदा निर्धारित प्रारूप में ही प्रेषित किया जायेगा, जिसका प्रारूप कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में रू0 500/– नकद देकर प्रधान लिपिक कार्यालय 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ से प्राप्त किया जा सकता है। निविदादाता द्वारा मुहरबन्द लिफाफे के ऊपर अपना नाम,पता तथा "कैन्टीन के लिए टेण्डर " अवश्य लिखा जाय। टेण्डर डालने वाला व्यक्ति यह भी स्पष्ट रूप से अंकित करेगा कि उसका कैन्टीन/खाद्य पदार्थ की दुकान चलाने का पूर्व का कितना अनुभव प्राप्त है।

2– निविदा प्रपत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि दिनांक 09–11–2022 तक तथा मुहरबन्द निविदा जमा करने की अन्तिम तिथि दिनांक 11–11–2022 की सायं 02.00 बजे तक होगी तथा मुहरबन्द निविदा दिनांक 11–11–2022 को सायं 04.00 बजे उपसेनानायक/सहायक सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ द्वारा निविदादाता तथा समिति के समक्ष खोली जायेगी। समस्त निविदादाता निविदा खुलने के समय उपस्थित रहेंगे।

3– प्रत्येक निविदादाता के द्वारा निविदा के साथ रू0–5000/– की अर्नेस्ट मनी के रूप में एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर जमा कराना होगा।

4– निविदादाता प्रत्येक खाद्य व पेय सामग्री का भार/मात्रा सहित मूल्य की सूची संलग्न करेगा।

5– निविदा स्वीकृत हो जाने पर जमानत के रूप में रू0– 20,000/–(रूपये बीस हजार मात्र) की धनराशि का एफ0डी0आर0 अथवा सी0डी0आर0 सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के पदनाम से बन्धक कराकर अनुबन्ध पत्र(एग्रीमेन्ट) रू0 100/–नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध कराना होगा।

6– सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वह कोई भी निविदा स्वीकार कर सकते है।अस्वीकृत की गयी निविदा के लिए सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ कोई कारण बताने का बाध्य नही होगा ।

7– यदि निविदा स्वीकृति के बाद सम्बन्धित व्यक्ति निर्धारित अवधि के अन्दर अनुबन्ध पत्र (एग्रीमेन्ट) नही भरता है अथवा जमानत की राशि नही जमा करता है तो उसकी अर्नेस्ट मनी

Scanned with OKEN Scanner

जब्त करते हुए दूसरी दर की दूसरी न्यूनतम मूल्य निविदा स्वीकृत की जा सकती है। यह सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के विवेक पर निर्भर करेगा।

निविदा की शर्ते

1— सेन्ट्रल एमिनिटीज फण्ड में निश्चित माहवारी रिबेट देने की धनराशि रू0—10,000/—निर्धारित तथा निविदादाता द्वारा अपने निविदा में अंकित किये गये सामानों के दर के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

2— ठेकेदार को निम्नलिखित शर्तो पर आधारित एक अनुवन्ध पत्र भरना होगा।इसलिए वही व्यक्ति निविदा प्रेषित करें, जिसकों यह शर्ते स्वीकार हो। रिबेट के अतिरिक्त ठेकेदार को निम्न चार्जेज देने होगें।

(बिजली चार्जेज मीटर रीडिंग के अनुसार)

3— ठेकेदार कैन्टीन में अथवा उसके आसपास किसी प्रकार का निर्माण अथवा परिवर्तन सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ की अनुमति के बिना नही करायेगा, एवं वाहिनी द्वारा उपलब्ध कराये गये बिजली मीटर की रीडिग अनुसार बिजली का बिल देना होगा।

4— सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के अनुमोदन पर ठेकेदार कैन्टीन में स्वच्छता सजावट नया सामान तथा अन्यत्र बैठने आदि से सम्बन्धित आवश्यक प्रबन्ध के लिये बाध्य होगा।

5— यह स्पष्ट किया जाता है, कि इस कैन्टीन का ध्येय पीएसी कर्मचारियों को एक अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करानी है न कि धनोपार्जन। अतः ठेकेदार पीएसी के प्रत्येक कर्मचारी जो कैन्टीन में आते है, को बाहरी व्यक्तियों की अपेक्षा प्राथमिकता देगा तथा अच्छे स्तर के खाद्य पदार्थ निर्धारित रेट''जो कि बाजार से कम होंगे तथा सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के अधिकारी से पूर्व अनुमोदित करा लिये जायेगे'' पर उपलब्ध करायेगा।

6— कैन्टीन का कोई भी खाद्य पदार्थ आदि किसी भी स्थिति में पूर्व अनुमादित मूल्य से अधिक रेट पर नही बेचा जायेगा।

7— सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ पीएसी कर्मियों के लिए आवश्यकतानुसार समय—समय पर खाद्य पदार्थो क भाव पास किया करेंगे व उन्ही के हस्ताक्षर या उनके द्वारा अधिकृत राजपत्रित अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थो के भावों की सूची हस्ताक्षर कर कैन्टीन में टांगी ज़ायेगी। इसे मानने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।

8— सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ किसी अधिकारी/कर्मचारी पर किसी प्रकार के उधार की अदायगी का उत्तरदायी नही होगा।

9— कैन्टीन में कोई नशीली वस्तु, तस्करी कार सामान अथवा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कोई वस्तु या पेय पदार्थ/खाद्य सामाग्री नही बेची जायेगी।

10— कैन्टीन के लिए कोई राशन इत्यादि सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ द्वारा प्रदान नही किया जायेगा।

11— सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ द्वारा कैन्टीन के लिए उपलब्ध कराये जा रहे कुछ फर्नीचर, पंखे वाटर कूलर इत्यादि सामान के अच्छे रख—रखाव के लिए भी ठेकेदार उत्तरदायी होगा।

12— कैन्टीन में कोई रोगग्रस्त तथा नाबालिग नौकर नही रखा जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

13– दैनिक खान–पान की वस्तुऐं अत्यन्त सफाई के साथ ढककर पर्याप्त मात्रा में कैन्टीन में उपलब्ध रखी जायेगी।

14– कैन्टीन खुली होने पर किसी भी समय कोई भी 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ राजपत्रित अधिकारी बिना पूर्व सूचना दिये कैन्टीन का निरीक्षण कर सकता है।

15– ठेकेदार के लिए अनिवार्य होगा कि वह वस्तुओं के मूल्यों से सम्बन्धित सूची ऐसे स्थान पर लटकाये जहाँ सभी लोग आसानी से देख सके।

16– ठेकेदार खाद्य पदार्थ साफ बर्तनों में उपलब्ध करायेगा तथा टूटे–फूटे बर्तन व गंदगी परिलक्षित नहीं होनी चाहिये।

17– ठेकेदार कैन्टीन/जलपान गृह का ठेका किसी दूसरे व्यक्ति को नही दे सकता है।

18– ठेकेदार यदि अनुबन्ध की किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, सड़ी–गली वस्तु बेचता है, पर्याप्त सफाई नहीं रखता है, निर्धारित मूल्य से अधिक रेट पर सामान बेचने की शिकायत मिलने पर 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के साथ दुर्व्यवहार करता है तो सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को ठेकेदार पर रू0–500/– तक जुर्माना एक समय में करने का अधिकार होगा।

19– यह ठेका एक वर्ष के लिए होगा और सेनानायक 32वीं वाहिनी पीएसी लखनऊ को यह अधिकार होगा कि बिना कोई कारण बताये ही ठेका किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

03/11

(जय प्रकाश)
सेनानायक
32वीं वाहिनी पीएसी
लखनऊ।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2–समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन्स उ0प्र0।
3–समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उ0प्र0 लखनऊ।
4–पुलिस महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र लखनऊ
5–कमिश्नरेट लखनऊ को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु।
6–पुलिस अधीक्षक बाराबंकी/उन्नाव/रायबरेली/सीतापुर/हरदोई।
7–सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, लखनऊ।
8–कन्ट्रोल रूम पीएसी मुख्यालय लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि निविदा का प्रकाशन उ0प्र0 पुलिस की वेबसाइड पर कराने का कष्ट करें।

Scanned with OKEN Scanner